राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

9 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.56 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र–गीत

श्री अध्यक्ष : राष्ट्र-गीत ।

(वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम सुफलाम् । मलयज शीतलाम् ।
शस्य,श्यामलाम् मातरम् । वन्देमातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी ।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी ।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखेदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । विशिष्ट सचिव, विधान सभा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ।

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, **(श्री महेश सिंह तंवर)** : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

श्री अध्यक्ष : विशिष्ट सचिव, विधान सभा, उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय/ राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

विशिष्ट सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1997

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या–5) विधेयक, 1997

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या–6) विधेयक, 1997

(5) राजस्थान विनियोग (संख्या–7) विधेयक, 1997

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या–8) विधेयक, 1997

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या–9) विधेयक, 1997

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री गुलजारी लाल जी नंदा, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता एवं भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री; श्री जोगेन्दर नाथ हजारिका पूर्व मुख्य मंत्री, असम; श्री एन.बी.एन. सोमू, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री दाऊदयाल जोशी, पूर्व सदस्य, छठी, सातवीं व आठवीं राजस्थान विधान सभा; श्रीमती भगवती देवी, पूर्वसदस्यपांचवीं व सातवीं राजस्थान विधानसभा; श्री मोहन लाल जाट, पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा; श्री मनीराम आर्य,पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा, श्री रामसिंह कुड़ी, पूर्व सदस्य, चतुर्थ राजस्थान विधान सभा; श्री गणपत लाल वर्मा, पूर्व सदस्य, द्वितीय एवं तृतीय राजस्थान विधान सभा श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, पूर्व सदस्य, प्रथम व द्वितीय राजस्थान विधान सभा, श्री केसरी सिंह, पूर्व सदस्य, प्रथम व तृतीय राजस्थान विधान सभा; श्री सोमा भाई, पूर्व सदस्य, प्रथम राजस्थान विधान सभा; श्री चांदमल मेहता, पूर्व सदस्य, प्रथम राजस्थान विधान सभा; श्री के. शिवराम कारंत, ज्ञानपीठ एवं पदम् विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य के विद्वान व स्वतंत्रता सेनानी व श्री बंशीलाल गुप्ता, सचिव, राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रस्ताव रखता हूं। उनके सबके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री गुलजारी लाल जी नंदा सादगी के प्रतीक थे, सिद्धांतवादी थे और साथ ही जीवन किस प्रकार से आदर्शमयी बन सकता है, इसका एक प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन मजदूरों की सेवा से आरम्भ किया। आजादी के आन्दोलन के पूर्व वे मजदूरों की सेवा के कार्य में लगे और आजादी के पश्चात् उन्होंने देश में कई पदों पर रहकर इस देश की सेवा की है। उनके मरणोपरान्त उनको "भारत रत्न" से विभूषित किया गया, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनकी सेवाओं का भारत में मूल्यांकन किया और उनको इस प्रकार से सम्मान प्रदान किया। वे दो बार हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री भी रहे, हिन्दुस्तान के गृह मंत्री भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। कई पदों पर रहकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रशासन में परिवर्तन करने की चेष्टा की। वे हमारे बीच से उठ गये। उस सम्बन्ध में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, असम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जोगेन्दर नाथ हजारिका, वे पूर्व मुख्य मंत्री असम के रहे हैं और उनके समय में असम का पुनर्गठन जिस प्रकार से हुआ और उस पुनर्गठन में शांति बनाये रखने का दायित्व उनके ऊपर था, उन्होंने इसका सही प्रकार से निर्वहन किया। 1950, 1957, 1962 और 1967 में वे लोक सभा के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

रक्षा राज्य मंत्री श्री एन. बी. एन. सोमू का जन्म 11 मई, 1937 को मद्रास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में हुआ । 11वीं लोक सभा के लिए 1996 में मद्रास उत्तर क्षेत्र से द्रमुक के सांसद निर्वाचित होने के बाद आप केन्द्रीय सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बनाये गये । रक्षा राज्य मंत्री के रूप में और एक सांसद के रूप में उन्होंने जो देश की सेवा की है, वह चिर-स्मरणीय रहेगी । मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री दाऊदयाल जी जोशी, वे इस सदन के भी सदस्य रहे हैं और लोक सभा के भी सदस्य रहे हैं । कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनसे परिचित नहीं है । पिछले दिनों बीमारी के कारण उनका देहावसान हुआ । बीमारी के समय हम लोग मिले और उनकी जिस समय मृत्यु हुई, उस समय भी उपस्थित थे । जिस व्यक्ति में मृत्यु के समय इस प्रकार की चेतना थी कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था उससे स्नेहपूर्वक चर्चा करने के बाद, मन में एक ही बात थी कि भई, मैं जा रहा हूं, मैं बच नहीं सकता हूं । प्रयत्न किया लेकिन ऐसा ही विधि का विधान था कि सबके बीच से उठकर चल गये । मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

इसके साथ ही, राजस्थान की पूर्व उप मंत्री श्रीमती भगवती देवी, वे संसद की सदस्य रही हैं और इस विधान सभा की सदस्य रही है और विधान सभा की सदस्य रहकर उन्होंने विधान सभा में अपने क्षेत्र का जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया है, महिलाओं में एक जागृति पैदा की है । उनका भी इस काल में निधन हुआ है । मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री मोहन लाल जी जाट, वे कपासन से निर्वाचित हुए । मैं उनको अच्छी तरह से याद करता हूं तो वे किसानों के सम्बन्ध में तो बोलते ही थे लेकिन कई बार कविताओं के रूप में भी अपना भाषण देते थे । वे इस सदन के सदस्य रहे और मुझे नहीं लगता कि किसानों की कोई समस्या हो और उनमें उनका किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं हो । वे भी हमारे बीच से उठकर चले गये हैं । मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री मनी राम जी आर्य, तारानगर में इनका जन्म हुआ और तारानगर विधान सभा क्षेत्र से ही ये निर्वाचित हुए, अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा थी, पारिवारिक दृष्टि से भी उनका महत्व था, उस दृष्टि से भी उनका योगदान था । मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री रामसिंह जी कुड़ी, वे जायल से विधायक निर्वाचित हुए । शायद विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे । उनका भी निधन हुआ । (व्यवधान) नहीं रहे । मैं उनके निधन के ऊपर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री गणपत लाल जी वर्मा, ये तो स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे । सौभाग्य था कि वे इस सदन के सदस्य बने और स्वतंत्रता संग्राम का जब वे इस प्रकार से विवरण रखते थे तो निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों को इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि स्वतंत्रता संग्राम कितना महत्वपूर्ण है और उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन्होंने किस प्रकार से तकलीफें उठाई हैं। वे बिजौलिया किसान आन्दोलन में भी जेल में गये और उस आन्दोलन के एक प्रमुख भाग थे। उस समय किसानों में इस प्रकार से जागृति करना, यह आसान बात नहीं थी। लेकिन बिजौलिया सत्याग्रह करके हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलन में उन्होंने एक इस प्रकार का चैप्टर शुरू किया है जिससे सारे हिन्दुस्तान में लोगों को इस सम्बन्ध में प्रेरणा मिली है। मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, एक पूर्व विधायक थे। चाकसू विधान सभा क्षेत्र से और आमेर, दो विधान सभा क्षेत्रों से दो बार निर्वाचित हुए हैं। उनका रहन सहन और बोलचाल जिस प्रकार की थी, वह सब लोगों को आकर्षित करती थी। वे जिस प्रकार से बोलते थे, वह भी एक आकर्षण का विषय था। वे भी हमारे बीच से उठकर चले गये। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री केसरी सिंह जी, ये पाली जिले के जोजावर नामक स्थान के थे। बहुत ही विनोदप्रिय स्वभाव के थे और मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में जो आतिथ्य सत्कार की बात कही जाती है कि राजस्थान में अतिथि का जिस प्रकार से सत्कार होता है, केसरी सिंह जी का व्यवहार और रहन सहन और आने जाने वालों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार था, उसको देखें तो वह भी एक प्रतीक था इस बात का कि राजस्थान आतिथ्य की दृष्टि से किस प्रकार से सारे संसार में और देश के अन्दर मशहूर हुआ है। वे भी अचानक बीमारी के कारण से चले गये। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सोमा भाई का जन्म 1937 में बांसवाड़ा जिले में हुआ। आप नवीं विधान सभा के सदस्य बागीडोरा क्षेत्र से थे। मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि कई बार बागीडोरा क्षेत्र में जाने का जब अवसर मिलता है तो लोग सोमा भाई के कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने यह काम कराया, उन्होंने यह काम कराया। सोमा भाई का इस क्षेत्र में प्रभाव था। यह इस प्रकार की चर्चाएं छोड़ जाने वाला व्यक्ति यह आप मानकर चलिये, जीवन में तो सब प्रकार की चर्चाएं होती हैं लेकिन मृत्यु के पश्चात् यदि किसी आदमी को याद किया जाता है, वह आदमी निश्चित रूप से इस बात का संदेश देता है कि जीवन में सेवा करने के बाद लोग उसको भूलते नहीं है, उनको याद करते हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

स्वतंत्रता सेनानी श्री चांदमल जी मेहता, ये किशनगढ़ के थे और किशनगढ़ से ही विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे। पुराने विधायक यह जानते होंगे कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन था। प्रश्नों के बारे में इतनी डिटेल्स में जानकारी करते थे कि कई बार तो उलझन में पड़े बिना आदमी रह ही नहीं सकता लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत ही ठीक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ढंग से प्रतिनिधित्व किया और मुझे याद है, श्री जय नारायण व्यास के लिए उन्होंने अपना स्थान रिक्त किया था और उसी स्थान के ऊपर... (व्यवधान) नहीं, सही है क्योंकि मैं उनके चुनाव में गया था इसलिए मुझे याद है। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पद्म विभूषण एवं ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार व स्वतन्त्रता सेनानी श्री के. शिवराम कारंत, ये कन्नड़ साहित्य के युग पुरुष के नाम से जाने गये हैं; उनका देहावसान भी हुआ है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।

राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बंशीलाल गुप्ता, जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं .

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सचिव रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सचिव, अचानक उनका देहावसान हुआ। कोई कल्पना ही नहीं करता था, पहले दिन मेरे से वे किसी काम से मिलने आये थे उस समय एक अन्दाज ही नहीं था कि यह आदमी परसों के दिन हमारे बीच में से उठ जायेगा। अचानक हार्टफेल हुआ और उनका देहावसान हो गया। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और मुख्य मंत्रीजी ने 15 दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उनका समर्थन करता हूं।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री गुलजारीलाल जी नंदा ने स्वतन्त्रता आंदोलन में एक सक्रिय नेता के रूप में भागीदारी निभाई और स्वतन्त्रता से पूर्व कपड़ा मिलों के मजदूरों के संगठन की उन्होंने एक संस्था स्थापित की। उनके लम्बे सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में 1937 में वे बम्बई विधान सभा के सदस्य चुने गये, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, 1952 में वे गुजरात के सांसद होने के बाद में पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में प्रथम योजना मंत्री रहे, उसके बाद गृह मंत्री और रेल मंत्री रहे। वे कार्यवाहक प्रधान मंत्री भी दो बार रहे और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। सादगी, ईमानदारी, सिद्धांत और नैतिकता के उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति श्री गुलजारी लाल नंदा जैसे बिरले पुरुष ही जन्म लेते हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित श्री नंदा महात्मा गांधी के दर्शन के सच्चे अनुयायी थे। महात्मा गांधी के सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को आत्मसात कर जीवन पर्यन्त बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु प्रयत्नशील रहे। गुलजारी लालजी नन्दा प्रबल आत्म बल वाले एक आदर्श पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व, उनके आदर्श और सिद्धांत जिस नैतिकता की ऊंचाई तक वे ले गये थे, यह आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उनका एक शताब्दी की दीर्घायु के उपरांत 15 जनवरी, 1998 को निधन हो गया।

(6)

(श्री परसराम मदेरणा)

श्री जोगेन्दर नाथजी हजारिका चार बार भारत की लोक सभा के सांसद रहे और पण्डित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रि-मण्डल में वह संसदीय सचिव भी रहे। 1978 में वे विधायक चुने गये और आसाम विधान सभा के स्पीकर भी रहे और असम जनता दल का गठन कर वह मुख्य मंत्री भी रहे। सामाजिक उत्थान के लिए वे सदैव संघर्षरत रहे। वे सदैव गरीबों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने मुख्य मंत्री रहते हुए कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

स्वर्गीय श्री एन. बी. एन. सोमू, यह पत्रकार थे प्रारम्भ में। मद्रास निगम के पार्षद और उप महापौर भी रहे। तमिल-नाडु विधान सभा के एक बार सदस्य भी रहे और 1984 में वह संसद के सदस्य और 1996 में सांसद बनकर केन्द्र में रक्षा राज्य मंत्री बने। सदाशयता और मानवीय दृष्टिकोण के वे प्रबल समर्थक थे। वे सामाजिक उत्थान और गरीबों के लिए संघर्षरत रहे, कई बार जेल यात्राएं भी की। उनका आकस्मिक निधन हवाई दुर्घ-टना में 4 नवम्बर, 1997 को हो गया।

इसी प्रकार स्वर्गीय श्री दाऊदयाल जोशी भी दो बार एम एल ए. रहे और तीन बार वह संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। विधान सभा व लोक सभा के कार्यकाल के दौरान श्री जोशी विभागीय परामर्शदात्री कमेटियों के सदस्य भी रहे। आयुर्वेदिक अध्ययन के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी रुचि के अनुरूप आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान से जनता की सेवा की। मृदुभाषी और मिलनसार श्री दाऊदयालजी जोशी एक सजग प्रहरी की भांति जन आंदोलनों में सक्रिय रहे। 16 जनवरी, 1998 को उनका निधन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इस इन्टर-सेशन पीरि-यड में नौ विधान सभा के जो पूर्व सदस्य हैं उनका भी निधन हुआ। उनमें श्रीमती भगवती देवी, जो पंचायत और सहकारिता की 1980–81 में उप मंत्री भी रहीं, दो बार विधायक बनी और हरिजन उत्थान व नारी उत्थान के प्रति समर्पित सजग प्रहरी के रूप में उनको पहचाना जाता है। 1 नवम्बर, 1997 को उनका निधन हो गया।

श्री मोहनलाल जी जाट ग्राम पंचायत के पंच, उप सरपंच, सरपंच व पंचायत समिति भूपाल सागर के प्रधान भी रहे और इस सदन के एक बार पूर्व सदस्य भी रहे। सदन की समितियों में वे विशेषाधिकार व प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे। उनका 22 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया।

स्वर्गीय श्री मनीराम जी आर्य तारा-नगर से एक बार विधायक रहे। वे सह-कारी बैंक के संचालक, पंचायत समिति के प्रधान भी रहे और गरीबों के उत्थान व दलितों के उत्थान के साथ में वे हमेशा जुड़े रहे। वे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 27 नवम्बर, 1997 को उनका निधन हो गया।

स्वर्गीय श्री रामसिंह जी कुड़ी तहसील पंचायत के सरपंच थे जायल के और जिला

(श्री परसराम मदेरणा)

परिषद नागौर के 62 और 65 के बीच में वे प्रमुख भी रहे वे दो बार विधान सभा के पूर्व सदस्य भी रहे। पंचायती राज और सहकारिता में उनकी विशेष रुचि थी। वे को-आपरेटिव बैंक, लैण्ड मोर्टगेज बैंक और राजस्थान भूमि बैंक के भी संचालक रहे। ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 12 जनवरी, 1998 को अकस्मात हृदय गति रुक जाने से, वह एक चुनाव की पब्लिक मीटिंग में गये हुए थे वहां पर उन्हें हृदयाघात हुआ और उनका निधन हो गया।

इसी तरह से स्वर्गीय श्री गणपतलाल जी वर्मा स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बिजौलिया किसान आंदोलन से प्रारम्भ किया था और उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। देश की आजादी के लिए लड़े गये 1943 के आजादी के महासंग्राम में सक्रिय भाग लिया और चित्तौड़ के कीर्ति स्तम्भ पर ध्वज फहराने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में यातनाएं भी दी। भीलवाड़ा कांग्रेस में मंत्री के साथ ही साथ सदन के सदस्य के रूप में भी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और वह दो बार इस सदन के सदस्य भी रहे। आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने जो सेवा की उसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। मिलनसार, सौम्य प्रकृति के और सेवाभावी व्यक्ति थे और मेवाड़ प्रजा मण्डल की कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। 28 नवम्बर, 1997 को उनका निधन हो गया।

स्वर्गीय श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री जी दो बार विधान सभा के सदस्य रहे और राजस्थान में दलित वर्ग और हरिजनों के उत्थान के लिए वे जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील रहे। उन्होंने हरिजनों के सम्बन्ध में राजकीय आदेशों का संकलन कर प्रकाशित भी कराया था। 5 नवम्बर, 1997 को उनका भी निधन हो गया।

श्री केसरीसिंह जी जोजावर एक मिलनसार, हंसमुख और उन्नत कृषि के तरीकों को प्रयोग करने वालों में विशेषज्ञता रखने वाले और बागवानी, मुर्गीपालन और संगीत में भी अभिरूचि रखने वाले, एक मानवीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। 10 नवम्बर, 1997 को उनका भी निधन हो गया।

इसी प्रकार श्री सोमा भाई जो 9वीं विधान सभा के सदस्य थे वे सदन में भी आदिवासी जनता की समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का उनका महत् योगदान रहा।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री चांदमल मेहता 1952 में विधान सभा के सदस्य चुने गये और उप चुनाव में परबतसर से भी वे सदस्य रहे। चैम्बर ऑफ कामर्स की संस्थाओं से भी वे जुड़े हुए थे। सदन में प्रश्नकर्ताओं में वे अग्रणी विधायक थे और सदन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका 3 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी के. शिवराम कारंत को साहित्य एकेडमी से 1958 में उनके उपन्यास "यक्षगान बयालता" और "मोकाजिया कनसुग्लू" नामक उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। वे कन्नड़ साहित्य के विलक्षण साहित्यकार थे। महाविद्यालय में प्रवेश के

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद वे गाँधीजी के दर्शन से प्रभावित होकर उस समय स्वतन्त्रता संग्राम में गये और कई बार जेल भी गये। साहित्य सृजन के क्षेत्र में योगदान के लिए कर्नाटक विश्व-विद्यालय द्वारा उनको मानद उपाधि प्रदान की गई। कन्नड़ साहित्य के पुरोधा श्री कारंत ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी प्रतिभा को परिलक्षित किया। सैकड़ों पुस्तकें, उपन्यास, नाटक और एकांकी के साथ-साथ दो विश्व कोषों का भी सम्पादन किया। वास्तव में वे एक साहित्य जगत के युग पुरुष थे। साहित्य सृजन के साथ ही श्री कारंत पर्यावरण संरक्षण और दलितों के उत्थान के लिए भी सतत् प्रयासरत रहे। 9 दिसम्बर, 1997 को उनका भी निधन हो गया।

हमारी विधान सभा के सचिव श्री बंशीलाल गुप्ता का 25 जनवरी, 1998 को हृदयघात से अकस्मात् व असामयिक निधन हो गया। मिलनसार, मृदुभाषी, विधिवेता और विनम्रता के लिए स्मरण किए जाएंगे।

मैं कांग्रेस दल व स्वयं अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से इन 15 दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं, उनके शोक संतप्त परिवारों को उनके निधन से हुई रिक्तता को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्री जो ने और प्रतिपक्ष के सम्मान-नीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन के संगीन महौल में रखा है उसको मैं मेरी पार्टी की ओर से 15 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवारों को इस दुखद स्थिति को सहन करने की शक्ति मिले।

श्री गुलजारी लाल नन्दा के बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सत्ता पक्ष के नेता महोदय ने जो उनके जीवन के बारे में बताया उसके अलावा भ्रष्टाचार से वे जीवनपर्यन्त लड़ते-लड़ते और जब वे रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने रेल भिड़न्त की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था।

अनेक माननीय सदस्य : लाल बहादुर शास्त्री जी थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सॉरी। और इसी प्रकार दाऊदयाल जी जोशी मेरे साथ इस सदन के सदस्य रहे हैं और बहुत ही हंसमुख और अच्छे संस्कृत के विद्वान और हर मामले में अपने इलाके की हर बात को इस सदन में उठाने की उनकी अलग ही शैली थी।

इसी प्रकार श्री मनीराम जी पंचायत समिति के प्रधान को-आपरेटिव बैंक के चेरयमैन और विधान सभा के सदस्य तारा-नगर से रहे हैं।

इसी प्रकार सोमा भाई जो कि मेरे साथ इस सदन के सदस्य भी थे और अच्छे ग्रामीण क्षेत्र से उठे हुए जनजाति क्षेत्र की समस्याओं को अपने हिसाब से इलाके की हर समस्याओं को यहां रखते थे।

और मैं श्री जोगेन्दरनाथ जी हजारिका पूर्व मुख्य मंत्री, असम; श्री एन. बी. एन.

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सोमू, रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार; श्रीमती भगवती देवी जी, पूर्व सदस्य; श्री मोहनलाल जी जाट, पूर्व सदस्य; श्री रामसिह जी कुड़ी; श्री गणपत लाल जी वर्मा; श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री; श्री केसरी सिंह जी; श्री चांदमल जी मेहता और पद्म विभूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य के विद्वान व स्वतंत्रता सेनानी श्री के. शिवराम कारंत और इस विधान सभा के सचिव श्री बंशीलाल जी गुप्ता को भी मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और मुख्य मंत्री महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करते हुए और जिन 15 दिवंगत आत्माओं को शोकाभिव्यक्ति को प्रस्ताव रखा है और उनके जीवन ओर समाज को जो योगदान है उसके बारे में नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने विस्तार से जो अपनी विचार प्रकट किए हैं उनसे सहमति व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता सेनानी और केयर टेकर प्रधान मंत्री गुलजारी लाल जी नंदा; श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका; श्री एन. बी. एन. सोमू; श्री दाऊदयाल जोशी, श्रीमती भगवती देवी, श्री मोहनलाल जाट, श्री मनीराम जी आर्य, श्री रामसिंह जी कुड़ी, श्री गणपत लाल जी वर्मा, श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, श्री केसरीसिंह जी, श्री सोमा भाई, श्री चांदमल मेहता, श्री के. शिवराम कारंत एवं श्री बंशीलाल गुप्ता जो इस सदन के एवं लोक सभा एवं विभिन्न अपने क्षेत्रों में इस समाज को जो योगदान दिया है उन तमाम को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों को यह कष्ट झेलने की प्रकृति से कामना करता हूं और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों में कई राष्ट्रीय विभूतियां और हमारे प्रान्त के नेता जिन्होंने इस प्रान्त के लिए काम किया और इस सदन में भी अपनी भागीदारी निभाई, वे हमसे बिछड़ गये।

श्री गुलजारी लाल जी नंदा जो एक राष्ट्रीय विभूति थे वे सादगी, नैतिकता, उच्च आदर्श, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक थे। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं। उन्होंने अनेक पद सुशोभित किए। उनके सुशोभित पद की गरिमा बढ़ी उनसे और पद के कारण उनकी गरिमा नहीं बढ़ी, दो बार प्रधान मंत्री रहे। एक ईमानदारी निष्ठा और नैतिकता का उन्होंने उदाहरण पेश किया। सरकार की तरफ से उनके आवास के लिए स्थान दिया गया उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश नहीं कर सकता। जीवनपर्यन्त वे भ्रष्टाचार से लड़ते रहे और एक आदर्श हमारे समाज में पैदा करते रहे। देश के सामने आदर्श रखा। ऐसी विभूति हमारे यहां से चली गई। उनके प्रति पूरा देश आभारी है।

इसी प्रकार दूसरे हमारे साथी हमसे बिछड़ गये। खास तौर से, हमारी विधान सभा के सचिव श्री गुप्ता जी जो एक आध्यात्मिक प्रवृति के व्यक्ति थे, सरल

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्वभाव के थे, बहुत ही मिलनसार, मृदु-भाषी थे । जब भी यहां इस सदन में और किसी भी अन्य काम से यहां आना होता, इच्छा होती उनसे मिलें । हमेशा इस प्रकार के भजन उनके यहां सुनने को मिलते थे । बड़ी सादगी के प्रतीक थे और उनसे मिल-कर बड़ी प्रसन्नता होती थी । ऐसे व्यक्ति का असामयिक निधन हुआ, हमें खेद है और एक योग्य प्रशासक और विधिवेत्ता को हमने खोया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरे महान व्यक्ति जिनसे व्यक्तिगत सम्पर्क भी रहा है, बहुत-सो के बारे में हम जानते भी हैं, उन सबके प्रति अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह प्रस्ताव पेश करते वक्त सदन के नेता महोदय ने जो भाव व्यक्त किये उनके उन विचारों में अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन मृत आत्माओं को भगवान शांति दे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं माननीय सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री गुलजारी लाल नंदा, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री एन. बी. एन. सोमू, असम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जोगेन्द्र नाथ जी हजारिका, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दाऊदयाल जी जोशी, श्रीमती भगवती देवी, श्री मोहन लाल जी जाट, श्री मनीराम जी आर्य, श्री रामसिंह जी कुड़ी, श्री गणपत लाल जी वर्मा श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, श्री केसरी सिंह जी जोजावर, श्री सोमा भाई, श्री चांदमल जी मेहता व पदमविभूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री के. शिवराम कारंत तथा इस विधान सभा के सचिव श्री बंशीलाल जी गुप्ता के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं ।

वयोवृद्ध नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा का जन्म 4 जुलाई, 1898 को गुजरावाला (पाकिस्तान) में हुआ । आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री नंदा ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । प्रारम्भ में आपने श्रमिक संघ के आन्दोलन में सहयोग करके कपड़ा मिल मजदूरों का संगठन "मजदूर महाजन संघ" बनाया । आप वर्ष 1937 में बम्बई विधान सभा के सदस्य चुने गये जहां आपने औद्योगिक सम्पर्क कानून बनवाने में अहम भूमिका निभायी ।

बाद में श्री नंदा ने इण्डियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की । भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में श्री नंदा को योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया । वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनावों में आप गुजरात के साबरकांठा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये और पण्डित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में प्रथम योजना मंत्री बनाये गये । इसके पश्चात् आपको गृह मंत्री का पदभार सौंपा गया । वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के निधन के

(श्री अध्यक्ष)

पश्चात् आप 16 दिन कार्यवाहक प्रधान-मंत्री रहे तथा बाद में वर्ष 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात् भी आप 14 दिन इस पद पर रहे ।

वर्ष 1966 में संसद के बाहर गो-हत्या का विरोध कर रहे साधुओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर सदन में शोर-शराबा होने पर श्री नंदा ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । श्री नंदा कुछ समय रेल मंत्री भी रहे । इसके पश्चात् आपने राजनीति से सन्यास ले लिया और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने लगे ।

ईमानदारी के लिए विख्यात रहे श्री नंदा ने सही अर्थों में गांधीवादी परम्परा का निर्वाह किया । देश के सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित श्री नंदा ने विभिन्न सार्वजनिक पदों पर रहते हुए जिन उच्च नैतिक मूल्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया, वह आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा । महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात कर आपने 'सादा जीवन उच्च विचार' को जीवनपर्यन्त चरितार्थ किया ।

श्री गुलजारी लाल नन्दा का दिनांक 15 जनवरी, 1998 को 100 वें वर्ष में निधन हो गया ।

असम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका का जन्म फरवरी, 1924 को दरभंगा जिले की तेंगाखाट तहसील के ग्राम खोंगिया में हुआ । आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त की । विधि की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने वकालत प्रारम्भ की ।

आप वर्ष 1950, 1957, 1962 एवं 1967 में लोक सभा के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए । आप पण्डित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमण्डल में संसदीय सचिव रहे । वर्ष 1978 में आप डिब्रूगढ़ विधान सभा क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए और असम विधान सभा के स्पीकर बनाये गये ।

वर्ष 1979 में आपने असम जनता दल का गठन किया और राज्य के मुख्य मंत्री बने । श्री हजारिका ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी थे ।

श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका का दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को निधन हो गया ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री एन.बी.एन. सोमू का जन्म 11 मई, 1937 को मद्रास में हुआ । आपने मद्रास के श्री त्यागराजा महाविद्यालय तथा मद्रास लॉ कॉलेज से बी. ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त की ।

ग्यारहवीं लोक सभा के लिए वर्ष 1996 में मद्रास उत्तर से द्रमुक के सांसद निर्वाचित होने के बाद आप केन्द्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बनाये गये । इससे पूर्व आप वर्ष 1984 में आठवीं लोक सभा के लिए भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गये थे । वर्ष 1980–84 में आप तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य भी रहे । विधायक एवं सांसद के रूप में आपने संसदीय प्रक्रिया को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

(12)

(श्री अध्यक्ष)

श्री सोमू ने अपने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में सक्रिय होकर अनेक बार जेल यात्राएं कीं। आप वर्ष 1968–73 में मद्रास नगर निगम के पार्षद तथा 1971–72 में उप महापौर रहे। पत्रकारिता में आपकी विशेष अभिरुचि थी। आपने 1953 से 1966 तक तमिल साप्ताहिक "द्रविड़दासन" का सम्पादन किया। सादगी, सदाशयता और मानवीय दृष्टिकोण के धनी श्री सोमू सदा रचनात्मक एवं राष्ट्रहित के कार्यों में रुचि रखते थे।

श्री एन.बी.एन. सोमू का एक हवाई दुर्घटना में दिनांक 14 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद श्री दाऊदयाल जोशी का जन्म 14 जुलाई, 1931 को कोटा में हुआ। आपने संस्कृत में प्रथमा व ज्योतिषा मध्यमा, आयुर्वेदाचार्य आदि की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जोशी वर्ष 1980 से 1990 तक सातवीं एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में कोटा के दीगोद क्षेत्र से विधायक रहे। इसके बाद आप वर्ष 1989, 1991 एवं 1996 में लगातार तीन बार कोटा क्षेत्र से लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा से संबद्ध रहे श्री जोशी ने कुछ समय आयुर्वेद औषधालय में सेवा की। वर्ष 1956 में नगर परिषद्, कोटा के सदस्य रहे श्री जोशी बाद में नगर परिषद् के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय होने के कारण आपने 17 बार जेल यात्राएं की तथा मीसा के तहत भी 19 माह जेल में रहे। विधान सभा के कार्यकाल में आप राजकीय उपक्रम समिति, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। आप कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण एवं विशिष्ट योजना विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। नौवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

श्री दाऊदयाल जोशी एक सौम्य एवं मिलनसार व्यक्ति थे। वर्ष 1987–89 में भारतीय जनता पार्टी के कोटा जिले के अध्यक्ष रहे श्री जोशी की आयुर्वेद अध्ययन में विशेष अभिरुचि थी। आपने अपने चिकित्सकीय ज्ञान से जनता की व्यापक सेवा की श्री दाऊदयाल जोशी का दिनांक 16 जनवरी, 1998 को निधन हो गया।

राजस्थान की पूर्व उप मंत्री श्रीमती भगवती देवी का जन्म 13 मई, 1938 को अजमेर में हुआ। आपने इन्टरमीडिएट (आनर्स) व एस. टी. सी. तक शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती भगवती देवी दो बार राजस्थान विधान सभा में विधायक रही। आप भिनाय निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार वर्ष 1972 में पांचवीं विधान सभा 1972-77 तथा दूसरी बार वर्ष 1980 में सातवीं विधान सभा के लिए निर्वाचित हुई। आप अनुसूचित जन जाति की ऐसी पहली महिला विधायक रही जो सम्पूर्ण देश में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई।

श्रीमती भगवती देवी 18 जून, 1980 से 14 जुलाई, 1981 तक राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

सरकार में पंचायत एवं सहकारिता विभाग की उपमंत्री रही । इसके पश्चात् अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1981–82 एवं 1983–84 की सदस्य रहने के अलावा आप वर्ष 1982 में व्यावसायिक मार्गदर्शन की समन्वय सलाहकार समिति, वर्ष 1983 में राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्श-दात्री मण्डल जयपुर, रेल्वे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति तथा अनुसूचित जन जाति मण्डल की सदस्या रहीं । आप खाद्य एवं आपूर्ति, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा देवस्थान विभागों की संसदीय परमार्शदात्री समिति की भी सदस्या रहीं ।

श्रीमती भगवती देवी एक कर्मठ महिला होने के कारण अपने सार्वजनिक जीवन में सदा हरिजनोत्थान व नारी उत्थान के लिये तत्पर रही ।

पूर्व उपमंत्री श्रीमती भगवती देवी का निधन दिनांक 1 नवम्बर, 1997 को हो गया ।

पूर्व विधायक श्री मोहनलाल जाट का जन्म वर्ष 1935 में हुआ । आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की ।

सातवीं विधान सभा के लिए आप वर्ष 1980 में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस दल के विधायक निर्वाचित हुए । विधान सभा के कार्यकाल में आप वर्ष 1980-81 में विशेषाधिकार समिति तथा वर्ष 1982–84 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे । इसके अलावा आप कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे ।

आप ग्राम पंचायत उसरोल के पंच, उप सरपंच एवं सरपंच रहने के अलावा वर्ष 1974–77 में पंचायत समिति, भूपाल सागर के प्रधान भी रहे । पंचायत कार्यक्रमों के अतिरिक्त समाज सेवा में भी आपकी अभिरुचि थी ।

श्री मोहनलाल जाट का दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री मनीराम आर्य का जन्म मास फाल्गुन सम्वत् 1966 में ग्राम देवगढ़, तहसील तारानगर में हुआ । आपने हिन्दी ज्ञान की सामान्य शिक्षा प्राप्त की ।

श्री मनीराम आर्य छठी विधान सभा के लिए वर्ष 1977 में तारानगर विधान सभा से निर्वाचित हुये । आप केन्द्रीय सह-कारी बैंक, चूरू के संचालक मण्डल के सदस्य एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे । आप सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा सहकारी क्रय-विक्रय समिति, तारानगर के सदस्य भी रहे । समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री आर्य गरीबोत्थान व दलित वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे ।

श्री मनीराम आर्य का निधन दिनांक 27 नवम्बर, 1997 को हो गया ।

पूर्व विधायक श्री रामसिंह कुड़ी का जन्म 5 अप्रेल, 1930 को नागौर जिले के ग्राम बुगरड़ा में हुआ । आपने बी.ए., एल एल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं ।

(14)

(श्री अध्यक्ष)

नागौर जिले के जायल निर्वाचन क्षेत्र से चतुर्थ विधान सभा (1967–72) में भारतीय क्रांति दल तथा पांचवीं विधान सभा (1972–77) में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री रामसिंह कुड़ी वर्ष 1955–56 में तहसील पंचायत, जायल के सरपंच, वर्ष 1959–67 में पंचायत समिति, जायल के प्रधान तथा वर्ष 1962–65 में जिला पंचायत, नागौर के उप प्रमुख रहे। इसके अलावा आप सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, नागौर के संचालक एवं अध्यक्ष, नागौर को-आपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक के संचालक एवं कोषाध्यक्ष तथा राजस्थान केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य भी रहे।

पंचायत राज एवं सहकारिता में अभिरुचि रखने वाले श्री रामसिंह कुड़ी का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछड़े तबके और शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहे।

श्री रामसिंह कुड़ी का दिनांक 12 फरवरी, 1998 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री गणपतलाल वर्मा का जन्म मध्यप्रदेश के सिंगोली ग्राम में वर्ष 1916 में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री वर्मा द्वितीय विधान सभा (1957-62) तथा तृतीय विधान सभा (1962–67) के लिए माण्डलगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस दल के विधायक रहे। जुझारू व्यक्तित्व के धनी श्री वर्मा ने वर्ष 1930 में अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया और वर्ष 1932 में बिजौलिया किसान आन्दोलन में सक्रिय होने पर आपको जेल जाना पड़ा। वर्ष 1942 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने और चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तम्भ पर झण्डा फहराने पर आपको गिरफ्तार किया गया और जेल में यातनाएं दी गई।

मेवाड़ प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य रहने के अलावा आप भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस के मंत्री, जिला सहकारी संघ के डायरेक्टर, भूमि बन्धक बैंक के चेयरमैन आदि पदों पर रहे। अध्ययन और आदिवासी सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री गणपत लाल वर्मा का बयासी वर्ष की अवस्था में दिनांक 28 नवम्बर, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री का जन्म 3 जुलाई, 1918 को जयपुर में हुआ। आपने मिशन हाई स्कूल जयपुर से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की तथा वैदिक धर्म विशारद् सिद्धान्त शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री प्रथम विधान सभा (1952–57) में चाकसू क्षेत्र से तथा द्वितीय विधान सभा (1957–62) में आमेर सुरक्षित क्षेत्र से विधायक रहे।

श्री शास्त्री नगर परिषद, जयपुर के सदस्य रहने के अलावा समाज कल्याण सलाहकारी बोर्ड, आई. टी. आई. चयन मण्डल, टेलीफोन परामर्शदात्री मण्डल तथा सेन्ट्रल विकास बोर्ड के सदस्य भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

आप राजस्थान दलित वर्ग के मंत्री होने के साथ-साथ हरिजन सेवक संघ के प्रधान-मंत्री भी रहे। श्री शास्त्री हरिजनों एवं दलितों के उत्थान के प्रति जीवन पर्यन्त जागरूक रहे। आपने हरिजन उद्धार हेतु शासकीय आदेशों का संकलन "हरिजनोत्थान" के नाम से प्रकाशित किया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री का दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री केसरीसिंह जोजावर का जन्म 18 जून, 1912 को पाली जिले के राखी ग्राम में हुआ। आपने जोधपुर के चौपासनी स्कूल तथा सर प्रताप हाई स्कूल से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री केसरी सिंह प्रथम विधान सभा (1952-57) के लिए सोजत निर्वाचन क्षेत्र से तथा तृतीय विधान सभा (1962-67) के लिए खारची विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। कृषि उत्थान एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले श्री केसरी सिंह वर्ष 1953 से 1959 तक तथा वर्ष 1961 से 1966 तक ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे।

कृषि के अलावा शिकार, बागवानी, मुर्गीपालन और संगीत में आपकी अभिरुचि रही।

श्री केसरी सिंह का दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री सोमा भाई का जन्म वर्ष 1937 में बांसवाड़ा जिले की तहसील गड़ी के कोटडा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सोमा भाई नौवीं राजस्थान विधान सभा (1990-92) के लिए बागीदौरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति तथा वन, पर्यावरण खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभागों से सम्बन्धित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। समाजवादी आन्दोलन में सक्रिय रहे श्री सोमा भाई ने शराबबन्दी तथा अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आप वर्ष 1952 से 1977 तक ग्राम पंचायत, कोटड़ा के सरपंच रहे।

श्री सोमा भाई का दिनांक 18 सितम्बर, 1997 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी श्री चांदमल मेहता का जन्म 5 जनवरी 1912 को किशनगढ़ के ग्राम पीलगोद में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

वर्ष 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव में आप किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस दल के विधायक निर्वाचित हुए। कुछ समय बाद ही आपने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देकर श्री जयनारायण व्यास के लिए स्थान रिक्त कर दिया। श्री मेहता नवम्बर, 1954 में हुए उपचुनाव में परबतसर से दुबारा निर्वाचित हुए।

समाज सेवा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री मेहता वर्धमान जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री रहने के अलावा आप अनेक

(16)

(श्री अध्यक्ष)

संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। श्री चांदमल मेहता का निधन दिनांक 3 नवम्बर, 1997 को हो गया।

पद्मविभूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्कार व स्वतंत्रता सेनानी श्री के. शिवराम कारंत का जन्म कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटा ग्राम में 10 अक्टूबर, 1902 को हुआ। आपने स्थानीय राजकीय विद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1920 में मैंगलोर राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वर्ष 1922 में गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आपने कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया और जेल गये। साहित्य एवं सृजन के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा आपको डाक्टरेट की मानद् उपाधि प्रदान की गई।

कन्नड़ साहित्य के युगपुरुष श्री कारंत ने उपन्यासकार, फिल्म निर्माता और समाज विज्ञानी के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को परिलक्षित किया है। आपने लगभग 400 पुस्तकें लिखी है जिनमें 45 उपन्यास, 31 नाटक एवं 231 अन्य साहित्यिक कृतियां हैं। आपने दो विश्वकोशों का भी सम्पादन किया। वर्ष 1958 में आपको "यक्षगान बयालता" के सृजन पर साहित्य अकादमी से तथा वर्ष 1978 में "मोकाजिया कनसुग्लु" नामक उपन्यास पर ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानवतावादी श्री कारंत पर्यावरण संरक्षण एवं दलितों के उत्थान के लिए छेड़े गये संघर्षों में सदा अग्रणी रहे।

साहित्य जगत की महान विभूति श्री के. शिवराम कारंत का दिनांक 9 दिसम्बर, 1997 को निधन हो गया।

राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बंशीलाल गुप्ता ने 20 सितम्बर, 1995 को इस विधान सभा के सचिव का पदभार ग्रहण किया था। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम भैंसरोडगढ़ में 3 जुलाई, 1940 को जन्मे श्री गुप्ता वर्ष 1970 में राजस्थान न्यायिक सेवा में आये। श्री गुप्ता का दिनांक 25 जनवरी, 1998 को हृदयाघात से असामयिक निधन हो गया।

मैं, सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1998 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.50 बजे मंगलवार, 10 मार्च, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

माननीय सदस्यगण,

दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। यह वर्ष हमारी आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने विदेशी सत्ता से आजादी प्राप्त की। स्वतन्त्रता संग्राम में कई ज्ञात एवं अज्ञात शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। हजारों लोग जेल गये। इस अवसर पर मैं ज्ञात एवं अज्ञात सभी शहीदों को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा जो स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच हैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।

2. यह अत्यन्त ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में बारहवीं लोक सभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं नव-निर्वाचित सांसदों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे लोक सभा में राजस्थान के विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे।

3. यह हम सबके लिए आनन्द का विषय है कि भारत अपनी स्वतन्त्रता के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है। समूचे देश के साथ राज्य में स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाये जा रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान, विकास प्रदर्शनियां, कवि सम्मेलन, वीर सैनिकों का सम्मान आदि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी के बलिदान की 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह वर्ष स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के राष्ट्रीय स्मारक का प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जाना। स्वर्ण जयन्ती वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। इस अवसर पर फील्ड मार्शल एस. एच. एफ. जे. मानेकशा को महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा राजस्थान से नौसेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले एडमिरल वी. एस. शेखावत को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने महाराणा प्रताप की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया।

4. माननीय सदस्य राज्य में हुए विकास कार्यों से परिचित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश ने विकास का नया इतिहास रचा है। गत 40 वर्षों के शासन में सात पंचवर्षीय योजनाओं पर कुल 7,190 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि केवल आठवीं पंचवर्षीय योजना 11,500 करोड़ रुपये की स्वीकृत कराई गई तथा बिना नये कर लगाये, केवल बेहतर वित्तीय प्रबन्ध से इस योजना को पोषित किया गया। आठवीं योजना का आकार सातवीं योजना से लगभग 4 गुना था। राज्य की आठवीं पचवर्षीय योजना में विनियोग की वृद्धि पूरे देश में अधिकतम थी तथा योजना के आकार की दृष्टि से राजस्थान का देश के बड़े राज्यों में पांचवां स्थान रहा, जबकि वर्ष 1990–91 में राजस्थान का देश में 11वां स्थान था। आठवीं पंचवर्षीय योजना

को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने वाले 4 राज्यों में से राजस्थान एक है। इसी आधार पर प्रचलित मूल्यों पर 27,650 करोड़ रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावित की गई, जिस पर योजना आयोग से विचार विमर्श चल रहा है।

5. राज्य में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन का औसत आठवीं योजना में 2,613 रुपये था जबकि 15 अन्य बड़े राज्यों में यह 1,998 रुपये था। राजस्थान आज गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छः राज्यों में से एक है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में वर्ष 1990 में राजस्थान का देश में नवां स्थान था जबकि अब पांचवां है। राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं और विकास के क्षेत्र में जो कार्य किये हैं, उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा योजना आयोग एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने की है। योजनाबद्ध प्रयासों, कठोर परिश्रम एवं सरकार की इच्छा शक्ति से ही ऐसा संभव हुआ है। वर्ष 1994–95 का बजट शिक्षा को, वर्ष 1995–96 का बजट चिकित्सा को, वर्ष 1996–97 का बजट पेयजल को एवं वर्ष 1997–98 का बजट गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को समर्पित कर इन सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से उल्लेखनीय कार्य किया गया है। यद्यपि बढ़ते संस्थापन व्यय के फलस्वरूप विकास विनियोजन पर दबाव पड़ेगा लेकिन राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य की आय बढ़ाकर तथा अनावश्यक खर्चों में कमी कर विकास के विनियोजन की गति बनाये रखे।

6. नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूर्ण करने तथा अब तक सृजित सम्पत्तियों को समेकित करने पर अधिक ध्यान दिया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं में किए जाने वाले निवेश की राशि में अधिकाधिक वृद्धि की जावेगी। अनुसूचित जातियों, जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, कृषकों, असंगठित श्रमिकों, भूमिहीन किसानों, महिलाओं इत्यादि समस्त वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। सेवा क्षेत्रों में निजी निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाया जावेगा। राज्य के सीमित जल संसाधनों के कुशलतम उपयोग की दृष्टि से विनियोजन किया जावेगा। अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन, खनिज, हस्तशिल्प एवम् लघु उद्योग को अधिक विकसित किया जावेगा। शिक्षा, पेयजल व स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास की ओर इस पंचवर्षीय योजना काल में अधिक ध्यान केन्द्रित किया जावेगा। मानव संसाधन विकास, तकनीकी शिक्षा के विस्तार व निर्यात को प्रोत्साहन भी इस योजना के अहम बिन्दु होंगे। जन-कल्याणकारी योजनाओं का फल गांव, शहर, घर और द्वार तक जाकर जन-जन को मिले, इसके लिये आवश्यक है कि शासन तन्त्र संवेदनशील हो और शासकीय प्रणाली सरल व पारदर्शी हो। राज्य सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है कि शासन व प्रशासन जनसाधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ, उन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये कटिबद्ध रहें।

7. प्रशासन में नवाचार राजस्थान की विशिष्टता रही है। वर्ष 1977–80 की अवधि में अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, राजस्व अभियान, औद्योगिक नीति तथा खनिज नीति आदि जैसी क्रान्तिकारी योजनाएं व नीतियां लागू की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 1990–92 की अवधि में अपना गांव अपना काम, गोपाल, तीस जिला तीस काम, राजलक्ष्मी व जन–मंगल जैसी जनभागिता की योजनाएं आरम्भ की गई। गत सात वर्षों में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां बनाई। इनमें औद्योगिक, खनिज, सड़क, निजी क्षेत्र के अस्पताल, संगमरमर व ग्रेनाइट विकास एवं अकृषि क्षेत्र विकास की नीति प्रमुख हैं।

8. राज्य सरकार ने न केवल योजनान्तर्गत विनियोजन को बढ़ाया है बल्कि करों की दरों में कमी एवं कर संरचना में सुधार करते हुए नियमों का सरलीकरण किया है। इससे करवंचना पर रोक लगी है तथा राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय में कमी की गई है। विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं एवं सेवा क्षेत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरने हेतु राजकीय विनियोग के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया हैं। राजकीय उपक्रमों को स्वपोषी बनाने एवं निजी क्षेत्र के मुकाबले सक्षम बनाने हेतु संगठनात्मक परिवर्तन, प्रबन्ध सुधार, समझौता पत्र, अधिक स्वायत्तता देने आदि जैसे कई सुधार किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम अब लाभ में आ गये हैं।

9. सरकार ने पिछले वर्षों में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप कृषि एवं सम्बद्ध प्रवृत्तियों में बहुआयामी परिवर्तन हुए हैं एवं उत्पादकता बढ़ी है। इस वर्ष प्रदेश में रबी में 82 लाख हैक्टेयर में बुवाई होने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। वर्ष 1989 में राज्य में रबी की बुवाई 51 लाख हैक्टेयर ही थी। चालू वर्ष में 128 लाख टन खाद्यान्न, लगभग 37 लाख टन तिलहन तथा 7.75 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होने का अनुमान हैं। ये सभी कीर्तिमान उत्पादन हैं। चालू वर्ष में 18.28 लाख टन रासायनिक उर्वरकों की खपत का अनुमान है जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1991 से लगातार राजस्थान में रासायनिक उर्वरकों की खपत वृद्धि दर देश के अन्य राज्यों से बेहतर रही है।

10. जलग्रहण विकास के कार्यों में राज्य को विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। राजसमन्द जिले के कामलीघाट जलग्रहण क्षेत्र को सर्वोत्तम उत्पादकता के लिए एवं अजमेर जिले के सराधना केसरपुरा जलग्रहण क्षेत्र को श्रेष्ठता के आधार पर राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कृषि प्रवृत्तियों में पिछले चार वर्षों में 6 राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान ही एक मात्र राज्य है। यह उपलब्धि प्रदेश के कृषकों की कर्मठता व राज्य सरकार द्वारा किये गये सतत प्रयासों का सुपरिणाम है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने प्रजनन की नई तकनीक का प्रयोग कर मोठ की नई किस्म आर.एम ओ. 40 विकसित की है, जो 60 से 65 दिनों में पक कर तैयार

हो जाती हैं । इसकी उत्पादन क्षमता 6 से 9 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है एवं यह विषाणु रोग से प्रभावित नहीं होती । यह किस्म मोठ उत्पादन में वरदान सिद्ध हो रही है ।

11. गत वर्ष सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को 508 करोड़ रुपये के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये थे । वर्ष 1990–91 में दिये गये 103 करोड़ रुपये की फसली ऋणों की तुलना में इस वर्ष लगभग 620 करोड़ रुपये की फसली ऋण सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है । किसानों के लाभ के लिये कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत सिंचित भूमि वाले किसानों को 75 हजार रुपये तक के फसली ऋण उपलब्ध कराये जावेंगे । ग्रामीण सहकारी समितियों को गांव के बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है व उनकी स्वयं की जमाओं में से 60 प्रतिशत राशि फसली ऋण, रोजगार के साधनों व घरेलू जरूरतों के लिए स्थानीय सदस्यों को उपलब्ध करायी जा रही है । इस योजना के तहत ग्रामीण उद्योगों के लिए 50,000 हजार रुपये तक के ऋण गांव की समिति से ही प्राप्त किये जा सकते हैं ।

12. प्रबन्ध व्यवस्था में निरन्तर सुधार के फलस्वरूप राज्य की अधिकांश सहकारी संस्थाओं ने लाभ अर्जित किया है । राजफैड द्वारा उत्पादक संस्थाओ से सीधे किसानों को उचित मूल्य के गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध कराये जाने की प्रणाली शुरू की गई है । साथ ही कृषि जिन्सों की खरीद की प्रभावी व्यवस्था कर किसानो को बिचौलियों के शोषण से राहत दी गई है । राजफैड ने इस वर्ष अब तक 100 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जबकि वर्ष 1990–91 में यह मात्र 27 करोड़ रुपये था । वर्ष 1990–91 में राज्य के मात्र 3 केन्द्रीय सहकारी बैंक लाभ में थे जबकि वर्ष 1996-97 तक 26 में से 22 केन्द्रीय सहकारी बैंक परिचालन लाभ में आ गये हैं । इसी प्रकार वर्ष 1996–97 में राज्य के सभी 33 प्राथमिक सहकारी बैंक लाभ में थे जबकि वर्ष 1990–91 में मात्र 14 बैंक ही लाभ में थे । इस वर्ष सहकारी संस्थाओं ने सदस्यों को लाभांश देने के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपये का लाभांश राज्य सरकार को भी दिया है ।

13. भारत सरकार द्वारा कराये गये सैटेलाइट सर्वेक्षणों के अनुसार राजस्थान के वृक्षाच्छादित क्षेत्र में 464 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है । पूरे देश में केवल राजस्थान एवं कर्नाटक ही ऐसे राज्य हैं, जिनमें 1991 से 1997 की अवधि में हुए हर सर्वेक्षण वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होना पाया गया ।

14. वनों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से साझा वन प्रबन्ध योजना 1991 में प्रारम्भ की गई तथा इसके अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित की गई हैं । वर्तमान में 1,942 ऐसी समितियां कार्यरत हैं । ये समितियां 2 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्रों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान कर रही हैं । जनता वन योजना के माध्यम से वर्ष 1996 से अब तक 1,740 हैक्टेयर

क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया । राज्य में जापान सरकार की सहायता से तीन महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण योजनाएं चलाई जा रही है । वर्ष 1991 में इन्दिरा गांधी नहर वृक्षारोपण परियोजना, 1992 में अरावली वृक्षारोपण परियोजना तथा 1995 में वानिकी विकास परियोजना जापान सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई । विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकीय विकास हेतु 38 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना 1996–97 में प्रारम्भ की गई । सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां 2.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास के कार्य किये गये, वहीं आठवीं योजना अवधि में ये कार्य 4.92 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में किये गये । वानिकी योजना पर खर्च की जाने वाली राशि में भी सातवीं योजना के मुकाबले आठवीं योजना में छः गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है तथा नवीं योजना में यह राशि आठवीं योजना के प्रावधान के दुगुने से भी अधिक हो जायेगी । वन विकास कार्यों पर इस वर्ष 110 करोड़ रुपये के व्यय तथा 181 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होने की आशा है ।

15. वर्ष 1976 में वन को संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करने के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया । इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के किसी भी अन्यथा प्रयोग हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है । इसके फलस्वरूप आदिवासियों को कृषि भूमि के नियमितीकरण व खनिज कार्यों में तो कठिनाई हुई ही, साथ ही जन सुविधाओं एवं विकास के छोटे-बड़े कार्यों जैसे अस्पताल, शाला भवन, सड़क, बांध इत्यादि में भी अवरोध उत्पन्न हुआ है । भारत सरकार से इन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया अनावश्यक लम्बी है । वर्ष 1980 के पूर्व से आदिवासियों द्वारा वन क्षेत्र में भूमि पर अतिक्रमण के काफी मामले नियमितीकरण हेतु लम्बित हैं । इस विषय में राज्य सरकार के अनवरत प्रयासों के पश्चात् केन्द्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दिशा निर्देश जारी किये हैं । राज्य सरकार ने दिनांक 27.4.91 को ही पहली बार विस्तृत परिपत्र जारी कर नियमितीकरण मामलों के परीक्षण हेतु समितियां बनाई । समितियों की अनुशंसाओं का परीक्षण कर 3,323 मामले भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय को भेजे गये किन्तु केन्द्र सरकार से निरन्तर अनुरोध करने के बावजूद इसमें वांछित प्रगति नहीं हो पाई है । इसके अलावा, राज्य विद्युत मण्डल, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की 27 अन्य परियोजनाएं भी भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय में स्वीकृति के लिये लम्बित हैं । इनमें से कुछ परियोजनाएं तो वर्ष 1987–88 से विचाराधीन है ।

16. राजस्थान की भूमि को 'रत्न गर्भा वसुन्धरा' होने का गौरव प्राप्त है । राज्य के आर्थिक विकास को गति देने की दृष्टि से खनन क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है । खनन क्षेत्र

(22)

से जहां सीधे ही लोगों को रोजगार मिलता है एवं राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, वहीं अनेक उद्योगों के लिये यह कच्चे माल का स्रोत भी है।

17. राज्य सरकार ने वर्ष 1995 में खनिज नीति एवं तत्पश्चात् मार्बल व ग्रेनाइट नीति निर्धारित कर इस क्षेत्र के विकास में आने वाली अनेक कठिनाइयों का निराकरण किया है, किन्तु भारत सरकार की नीतियां खनिज क्षेत्र के समुचित दोहन में बाधाएं पैदा कर रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान और इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया की जटिलता राज्य के खनन क्षेत्र के विकास में एक बड़ी बाधा साबित हुई है। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व जारी किये गये खनन-पट्टों के लिये भी केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की व्यवस्था से 69,000 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित 2,144 खानों में खनन कार्य गत वर्ष रोक दिया गया। भारत सरकार को अनुमति हेतु भेजे गये मामलों में लगातार पत्राचार के बावजूद भी 50 प्रतिशत मामलों में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य में नये सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना के लिये खनन पट्टों की अनुमति हेतु भेजे गये मामलों में से 2 तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के लिये प्रेषित 2 मामले अब भी भारत सरकार में लम्बित है। खान एवं खनिज विकास अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायती नियम, 1960 के अन्तर्गत कतिपय मामलों में राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त करने के लिये भी भारत सरकार को निरन्तर अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं।

18. निजी क्षेत्र की कम्पनियों के माध्यम से राज्य के एक बड़े क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के प्रारम्भिक नतीजे उत्साहजनक है। इसी प्रकार हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से निजी कम्पनियों की सहायता से बेस मेटल एवं अन्य खनिजों की खोज हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

19. आज के युग में ऊर्जा, विकास का मूल आधार है। कृषि, उद्योग, परिवहन दूरसंचार, खनन इत्यादि किसी भी क्षेत्र का ऊर्जा की समुचित आपूर्ति के अभाव में विकास करना असम्भव है। वास्तविक खपत की तुलना में विद्युत की उपलब्धि में अत्यधिक कमी इस सरकार को विरासत में मिली है। राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिये सरकार ने ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के सशक्त प्रयास किये हैं तथा उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 1984–85 से 1989–90 की अवधि में जहां 1025 करोड़ यूनिट बिजली कृषि क्षेत्र में दी गई, वहां वर्ष 1990 से 1997 की अवधि में यह आपूर्ति दुगुने से भी अधिक, 2500 करोड़ यूनिट की गई। जहां वर्ष 1989–90 में ऊर्जा के उपयोग में कृषि क्षेत्र का भाग 27.76 प्रतिशत था, वर्ष 1996–97 में यह बढ़कर 35.75 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1984–90 की अवधि में 25,732 सब-स्टेशनों, जिनमें 11 केवी से 220 केवी तक के सब-स्टेशन शामिल है, का निर्माण हुआ, वहीं वर्ष 1990-97 में यह संख्या 73,595 रही।

वर्ष 1984 से 1990 के दौरान जहां विद्युत उत्पादन पर 528 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, वहीं 1990 से 1997 तक की अवधि में 1,899 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है ।

20. राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में केन्द्रीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधान तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की कार्य प्रणाली बाधा बन रही है । पर्यावरण व विद्युत नियमों के कुछ प्रावधान पूर्णत: असंगत व अतार्किक है । राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इन प्रावधानों को संशोधित करने का लगातार अनुरोध किया है, परन्तु भारत सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया है । केन्द्रीय सरकार की मुक्त व्यापार व उद्योग-सहयोगी नीति की घोषणा के बावजूद केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न विद्युत योजनाओं के प्रति सकारात्मक रुख नहीं रहा हैं ।

21. विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के माध्यम से कुल लगभग 3,348 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिये निजी विद्युत उत्पादकों के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये गये । किन्तु, भारत सरकार द्वारा इनके लिये तरल ईंधन उपलब्ध कराने में लगभग 7 माह का विलम्ब किया गया तथा अब तक भी मात्र 1,415 मेगावाट क्षमता के लिये ही तरह ईंधन उपलब्ध कराया गया है । इस मध्य डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में भारी परिवर्तन हो गया । इस कारण इन संयंत्रों की स्थापना में प्रगति नहीं हो पाई है ।

22 राजस्थान सहित उत्तरी भारत ग्रिड के सभी राज्यों में बिजली की कमी की स्थिति से माननीय सदस्य परिचित है । राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन के विशेष प्रयास किये हैं तथा बिजली की कमी की आपूर्ति अन्य स्थानों से बिजली खरीदकर भी की है । जनवरी माह तक इस वर्ष, गत वर्ष के मुकाबले, 8.12 प्रतिशत अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई है तथा 21,000 कुओं का विद्युतीकरण किया गया है ।

23. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई का कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है । इस इकाई से इसी वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है । इस परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई का काम भी द्रुतगति से किया जा रहा है ।

24. निजी क्षेत्रों की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में से मैसर्स आर. पी. जी. ग्रुप की नेफ्था आधारित 702 मेगावाट की परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है । बरसिंगसर में स्थापित होने वाली 500 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत गृह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ।

25. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से नवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न

(24)

सिंचाई परियोजनाओं पर 1,448 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । इस वर्ष भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme) के अन्तर्गत नर्बदा, बीसलपुर तथा पांचना परियोजनाओं को शामिल किये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई । बांध सुरक्षा कार्यक्रम को संशोधित रूप में सितम्बर, 1997 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति विश्व बैंक से प्राप्त की गई है ।

26. प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग के लिये 1,800 करोड़ रुपये की राजस्थान जन संसाधन संघनन परियोजना (Rajasthan Water Resources Consolidation Project) तैयार की जा रही है । लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है तथा इस हेतु नाबार्ड से ऋण प्राप्त किया जा रहा है । हनुमानगढ़ जिले व आस-पास के क्षेत्रों को घग्घर नदी की बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु 30 करोड़ रुपये की लागत की एक दूरगामी योजना तैयार की गई है ।

27. सिंचाई विभाग की लगभग 19 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग में अनुमति हेतु लंबित है इनमें गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना, यमुना जल उपयोग परियोजना घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना सावन भादो परियोजना व छापी सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल है ।

28. वर्ष 1994 में सड़क नीति लागू की गई । वर्ष 1990 में जहां राज्य में 56,956 किलोमीटर सड़कें थी वहीं 1997 तक 74,947 किलोमीटर सड़कें हो गई । नवीं पंचवर्षीय योजना में 1991 की जनगणना के एक हजार से अधिक आबादी के सभी 10,766 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है । मार्च 1997 तक 7,278 ऐसे गांव डामर की सड़क से जुड़ चुके थे एवं इस वर्ष जनवरी माह तक 171 और गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा जा चुका है । मार्च 1997 तक राज्य की 9,195 पंचायतों में 8,845 पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जुड़ चुके थे, जिनमें डामर की सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालयों की संख्या 6,760 थी । इस वर्ष जनवरी माह तक 112 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है । गत सात वर्षों में 6,648 गांवों को विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोड़ा गया है । राज्य के कुल 37,889 गांवों में से 1990 तक 13,065 गांव सड़कों से जुड़े हुए थे, जो इस वर्ष बढ़कर 19,713 हो गये हैं ।

29. निजी निवेशकों के माध्यम से राज्य में 2 उप मार्ग तथा एक पुल का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था । इनमें से करौली पुल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा उदयपुर व पाली उपमार्ग का कार्य प्रगति पर है । राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 पर जयपुर से कोटपूतली तक चार लेन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा आगे का कार्य प्रगति पर है ।

30. प्रदेश के सभी 222 नगरों के साथ-साथ वर्ष 1997 तक 37,889

आबाद गांवों में से 37,414 गांवों को आंशिक या पूर्ण रूप से पेयजल की सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर किये गये वार्षिक व्यय में निरन्तर वृद्धि की है। वर्ष 1990–91 में पेयजल योजनाओं पर 130.14 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी जो वर्ष 1996–97 में बढ़कर 361.73 करोड़ रुपये हो गई।

31. राज्य सरकार ने राज्य में निरन्तर गिरते हुए जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए अनेक संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की हैं, ताकि ग्राम जनता को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। वर्ष 1996–97 में पेयजल की सुविधा से वंचित ढ़ाणियों व मजरों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया। इन ढ़ाणियों व मजरों को योजनाबद्ध तरीके से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य हाथ में लिये गये हैं। गत तीन वर्षों से पूर्व के लगभग 5,000 अधूरे कार्यों में से अधिकांश को त्वरित गति से पूर्ण कराने की कार्यवाही की गई हैं। चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों के खारे पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों के लिये जर्मन व भारत सरकार के सहयोग से विशेष योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें कार्य प्रगति पर है।

32. पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण बीसलपुर परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च, 1990 तक इस योजना पर केवल 25.53 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, जबकि इसके पश्चात् दिसम्बर, 1997 तक इस पर 132.51 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इस परियोजना से अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, किशनगढ़ व नसीराबाद को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

33. जोधपुर शहर के लिये पेयजल की आपूर्ति के लिये जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना भी पूर्ण हो चुकी है। मार्च, 1990 तक इस परियोजना पर 31.60 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, जबकि इसके पश्चात् दिसम्बर, 1997 तक 223.80 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इस परियोजना से जोधपुर शहर को वर्तमान में प्रतिदिन 200 लाख गैलन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

34. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान राज्य अब नारू रोग से पूर्णतया मुक्त हो गया है। इस वर्ष नारू रोग का एक भी रोगी राज्य में नहीं पाया गया। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

35. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य के गठन के समय राजस्थान में उद्योगों में पूंजी निवेश लगभग नगण्य था। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में घोषित की गई तथा राज्य के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए नई उद्योग नीति वर्ष 1990 में घोषित की गई। आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में जून, 1994 में एक नई औद्योगिक नीति प्रतिपादित की गई। वर्ष 1980–89 की अवधि में लघु उद्योगों में 616 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन हुआ जब कि वर्ष 1990–97 की अवधि में 1,423 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ।

(26)

वर्ष 1980–89 की अवधि में वृहद् एवं मध्यम स्तर की 218 इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 1,945 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ था, जबकि 1990–97 के मध्य 290 वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए जिनमें 9,984 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ। वर्ष 1990 तक राज्य में 10 इकाइयों में कुल 15 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी निवेशित थी जबकि वर्ष 1990–97 की अवधि में 54 इकाइयों में कुल 159 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का विनियोजन हुआ। वर्ष 1990–91 में राज्य से 421 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया जो वर्ष 1996–97 में बढ़कर 3,480 करोड़ रुपये का हो गया। राज्य में निर्यातक इकाइयों की स्थापनार्थ देश का प्रथम निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क सीतापुरा, जयपुर में विकसित किया गया है। इस वर्ष जनवरी तक 5,574 लघु उद्योग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,674 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के उद्यमिता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

36. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। जयपुर के निकट स्थापित इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क में अर्थ स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इससे प्रदेश में साफ्टवेयर उद्योग में निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

37. सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य में कुल 1.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ। इसकी तुलना में 1990–97 की अवधि में 2.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ। राज्य के प्रमुख औद्योगिक स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 16 मेलों के माध्यम से 3,535 व्यक्तियों को उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

38. भीलवाड़ा तथा भिवाड़ी में नये इनलैण्ड कन्टेनर डिपो इसी वर्ष निर्मित हो जाने की आशा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने गत माह इन्टरनेट इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर इन्डोबाजार कॉम से ऑन लाइन ट्रेडिंग जोन का आरम्भ किया है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय क्रेताओं को भारतीय निर्यातकों के उत्पादों के बारे में विस्तृत सूचना दी जा सकेगी।

39. आधारिक संरचना के विकास के लिये निजी निवेश बड़ी मात्रा में आकर्षित करने की दृष्टि से पीडीकोर लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापित की गई है। यह कम्पनी आई एल एण्ड एफ एस लि., एच. डी.एफ.सी.लि. तथा राज्य सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम के रूप में होगी। यह कम्पनी आधारिक संरचना सम्बन्धी परियोजनाएं निर्मित कर निजी निवेशकों को आकर्षित करेगी। यह देश की इस प्रकार की प्रथम पहल है।

40. इस वर्ष खादी प्रदर्शनियों के द्वारा 9.35 करोड़ रुपये की बिक्री की गई, जो एक कीर्तिमान है। राज्य में नये स्थापित इन्स्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट द्वारा हस्तशिल्प निर्माण में स्नातनकोत्तर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

41. शिक्षा, विशेषत: महिला शिक्षा, के क्षेत्र में प्रदेश का स्थान तुलनात्मक रूप से पीछे रहा है । राज्य सरकार का मंतव्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचा कर उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है । सन् 2000 तक प्रदेश से निरक्षरता का कलंक हटाना हमारा लक्ष्य है । विनियोजन में वृद्धि, शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान, नवाचार व जनमागिता इस हेतु किये गये प्रयासों के केन्द्र बिन्दु है । वर्ष 1985 से 1990 तक राज्य में 1,900 प्राथमिक विद्यालय खोले गये, जबकि वर्ष 1990 से 1997 तक की अवधि मे 7,595 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये । वर्ष 1985-90 की अवधि में 1,591 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये जबकि वर्ष 1990-97 के मध्य 2,920 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये । राज्य में शिक्षा पर कुल व्यय वर्ष 1990-91 में 808 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 1997-98 तक 2,257 करोड़ रुपये हो गया । अब राज्य के सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी वाले तथा रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्र के 150 की आबादी वाले समस्त राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय हैं तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है । इस वर्ष 461 नई प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं तथा 659 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक में, 236 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक में तथा 137 माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है ।

42. आगामी शिक्षण सत्र में झुन्झुनूं एवं राजसमन्द जिलों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किये जाने की प्रारम्भिक तैयारियां की जा रही है । इन जिलों के अनुभव के आधार पर आने वाले वर्षों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अन्य जिलों में विस्तार किया जायेगा । राज्य के 135 विकास खण्डों में शिक्षा कर्मी योजना तथा 75 विकास खण्डों में लोक जुम्बिश योजना लागू की गई है । वर्ष 1990 से पूर्व विद्यालयों में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन 50 लाख था जो वर्ष 1996 तक बढ़कर 67 लाख हो गया । इसी अवधि में 11 से 14 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों का नामांकन 15 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गया । इस प्रकार विद्यालय जाने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निश्चित अवधि में अर्जित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य के 19 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है । इस योजना में प्रत्येक जिले में 5 वर्ष की अवधि में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च कर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार व सुधार किया जावेगा । शेष 13 जिलों में यह कार्य लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से किया जावेगा ।

43. वर्ष 1994-95 से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों एवं आठवीं कक्षा तक की छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने की योजना लागू की गई । इससे प्रति वर्ष लगभग 54 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं । यह सुविधा मदरसों के

लिये भी बुक बैंक योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है ।

44. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एवम् शिक्षित बालिकाओं को अपने आंगन में ही विद्यालय प्रारम्भ करने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से सरस्वती योजना के 1,720 केन्द्र राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भ किये गये हैं । सभी जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दो वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि 'गार्गी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जा रही है ।

45. राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वर्ष 1990–91 में अजमेर जिले से प्रारम्भ किया गया । पिछले सात वर्षों की अवधि में राज्य के समस्त जिलों को इस अभियान से जोड़ा जा चुका है । अब तक 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 25 लाख निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं । साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य के पाली तथा सीकर जिलों को भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।

46. द्रुतगति से राज्य की आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लिये उच्च शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है । प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार अपना दायित्व समझती है । इसलिए, पूरे प्रदेश में स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजी से खोले गये हैं । जन सहभागिता से नये महाविद्यालय खोलने हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों से अनेक प्रस्ताव आये हैं । इनसे जनसाधारण में उच्च शिक्षा के लिये आई जागृति का संकेत मिलता है ।

47. राज्य में 1985–90 की अवधि में कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया, जबकि वर्ष 1990–97 के बीच ही 21 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं । महिलाओं के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्ष 1990 तक की अवधि में मात्र 7 राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये गये थे, जबकि केवल वर्ष 1990–97 की अवधि में 11 नये महाविद्यालय खोले गये हैं । इस वर्ष 11 और नये राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं, जिनमें से 8 महाविद्यालय महिलाओं के लिये हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 12 नवीन महाविद्यालयों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये हैं, जिनमें से 8 महिला महाविद्यालय हैं । उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष राजकीय महाविद्यालयों में 55 नवीन वर्ग प्रारम्भ किये गये ।

48. एक कार्यकुशल, आत्म विश्वास से भरा नागरिक किसी भी राष्ट्र के लिये धरोहर होता है । प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का ऐसा तन्त्र विकसित करने का प्रयास किया गया हैं, जिससे प्रशिक्षित युवा वर्ग स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो । राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि तथा गुणात्मक सुधार के योजनाबद्ध प्रयास किये हैं । वर्ष 1990–97 के बीच 4 नये पोलिटेक्निक खोले गये तथा इस

प्रकार अब राज्य में 25 पोलिटेक्निक कार्यरत हैं, जिनमें से 6 महिलाओं के लिये हैं। इस वर्ष जयपुर स्थित मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से अभिकल्पन केन्द्र का निर्माण, कम्प्यूटर केन्द्र तथा पुस्तकालय का निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये गये। राज्य सरकार ने जोधपुर स्थित एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्कीटेक्चर तथा केमीकल इंजीनियरिंग एवं एम. एल. बी. टी. आई., भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया है।

49. वर्ष 1985–90 में 25 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये थे जबकि 1990–97 में 40 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये। अब राज्य में 95 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 8 महिलाओं के लिये हैं। इस वर्ष दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत तीन नये औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्वीकृति दी गई। पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।

50. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1990–91 में इन सेवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च 57.42 रुपये था, जो वर्ष 1997–98 में बढ़कर 157.59 रुपये हो गया है। गत सात वर्षों में राज्य में 76 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 598 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1,650 उप स्वास्थ्य केन्द्र 97 मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्र 27 शहरी डिस्पेन्सरी एवं 9 शहरी प्राथमिक स्वा. केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसी अवधि में 3,558 उप स्वास्थ्य केन्द्र व 387 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण भी करवाया गया है। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई एवं 5 जिला चिकित्सालयो में बर्न यूनिट की स्थापना की गई है। अजमेर में 540लाख रुपये की लागत से 300 शैय्याओं युक्त मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में गत सात वर्षों में कुल 6,150 शैय्याओं की वृद्धि की गई है। समस्त उपखण्ड मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के निर्णय के क्रम में इस वर्ष 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर 50 शैय्याओं युक्त किया गया है इस वर्ष धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं राजसमंद जिला मुख्यालयों पर नये होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत किये हैं।

51. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विगत सात वर्षों में 116 एक्सरे मशीनें, 104 रोगी वाहन व 163 ई. सी. जी. मशीनें तथा 230 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी वाहन उपलब्ध कराये गये है।

52. पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत करने में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो से मुक्त कराने के लिये इस वर्ष भी गत दो वर्षों की भांति पल्स पोलियो अभियान चलाया जाकर लगभग 80 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है गत 7 वर्षों में अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 7 लाख नेत्र आपरेशन किये गये हैं। क्षय एवं कैंसर के प्रति जागरुकता लाने एवं निदान करने की दृष्टि से पंचायत समिति व जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

53. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम को अब सामाजिक विपणन पद्धति के आधार चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत कार्यकर्ता जनता की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं । स्थाई साधन एवं अन्तराल साधनों के माध्यम से अधिक दम्पत्तियों को साधन उपलब्ध कराने में 1996-97 में इसके पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्थान ने देश में सर्वाधिक वृद्धि अर्जित की । इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.90 लाख व्यक्तियों ने नसबन्दी आपरेशन कराये हैं । राजलक्ष्मी योजना के तहत 63,502 बॉण्ड जारी किये जा चुके हैं एवं जन-मंगल योजना में 15,000 जोड़े प्रशिक्षित हो चुके हैं ।

54. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 5.53 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के विपरीत 5.34 लाख हैक्ठेयर क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो गया है । द्वितीय चरण में नहर की शाखाओं, वितरिकाओं आदि का निर्माण कार्य करके मार्च, 1997 तक 5.61 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोल दिया गया है । हनुमानगढ़ जिले में उत्पन्न सेम की समस्या के निदान के लिये एक बहुआयामी कार्य योजना प्रारम्भ की गई है । नलकूप खोदना व वृक्षारोपण इस कार्य योजना के मुख्य अंग है ।

55. चम्बल परियोजना, कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिये कनाडा सरकार के सहयोग से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु राजाड परियोजना चलाई जा रही है । इसके अच्छे परिणाम निकले हैं । इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में इस वर्ष अब तक 23,700 हैक्टेयर में खालों का निर्माण तथा 13 डिग्गियों व 21 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है ।

56. गत सात वर्षों में खालों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 1991–92 से जनवरी, 1998 तक 2.64 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया गया है । वर्ष 1991–92 से बोये जाने वाले क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती रही है वर्ष 1991–92 में बुवाई का क्षेत्र स्टेज प्रथम में 5.74 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 96-97 में 6.63 लाख हैक्टेयर हो गया । इसी अवधि में स्टेज द्वितीय के अन्तर्गत बुवाई का क्षेत्र 0.59 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1.57 लाख हैक्टेयर हो गया । उपनिवेशन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र इस वर्ष अब तक 19,910 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है ।

57. विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमो को अधिक प्रभावशाली एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है । स्वयं सेवी संस्थाओ का सहयोग तथा जन सहभागिता को बढ़ाया गया है । इन कार्यक्रमों के लिये आठवीं योजना के अन्तर्गत खर्च 2,194 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में नवीं योजना में 3,882 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 1990–91 में जहां इन योजनाओ पर 282 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था, वहां वर्ष 1997–98 में जनवरी तक 389 करोड़ रुपये खर्च

किये गये । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रति परिवार पूंजी निवेश जो वर्ष 1990–91 में 5,738 रुपये था, वह इस वर्ष 22,530 रुपये हो गया है । इस वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो का नया सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

58. असिंचित क्षेत्र के किसानों के हितों को देखते हुए एक विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिकांश राशि अब जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यो पर खर्च की जा रही है । अब तक 1,963 जलग्रहण क्षेत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 9.30 लाख हैक्टेयर भूमि विकसित होगी । अब आश्वासित रोजगार योजना राज्य के सभी विकास खण्डों में क्रियान्विति की जा रही है । रोजगारोन्मुख योजनाओं पर अब तक इस वर्ष 292 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तथा 5.18 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है ।

59. स्थानीय सामाजिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए शत प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से संचालित बत्तीस जिला बत्तीस काम, निर्बन्ध राशि, मेवात क्षेत्रीय विकास, डांग क्षेत्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास केन्द्र योजनाओं का क्रियान्वयन कर विभिन्न उपयोगी ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा रहा है । इन योजनाओं के तहत इस वर्ष माह जनवरी तक 47 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

60. सरकार लोक विकास नाम से एक नया कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता को चिन्हित कर आवश्यकता की पूर्ति के लिये स्थानीय उपलब्ध साधनों की सूचना एकत्रित करेंगे । चयनित कार्यो के लिये राजकीय सहायता स्वीकृत की जा सकेगी । शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, पशुपालन, सड़क आदि किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आकलन के आधार पर योजना बनाई जा सकेगी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास को समुदायपरक बनाना होगा ।

61. अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट संघटक योजना के तहत 4,040 करोड़ रुपये की राशि का प्रवाह रखा गया है, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की राशि से लगभग दुगुना है । अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले 150 संबल ग्रामों में इस वर्ष सामुदायिक भवन बनाये जा रहे हैं । बाह्य सहायता के सहयोग से लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से 12 आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की योजना प्रगति पर है ।

62. विकलांगो के पुनर्वास हेतु मेडिकल कालेजों के तत्वाधान में 4 पुनर्वास केन्द्र अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में खोले गए हैं । वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित कर विवाह हेतु 5,000 रुपये की राशि प्रत्येक विकलांग को उपलब्ध कराई गई है । विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु भी 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है । गाड़िया लोहारों को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड

तथा मकान निर्माण हेतु 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । राज्य में 10 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं । परित्यक्ताओं व निराश्रित बच्चों के लिए आवासगृहों आदि हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में चार गुना व्यय किया गया ।

63. राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बी. एड., एस. टी. सी., ए. एन. एम. एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है । आई.आई.टी., पी., एम.टी. पी.ई.टी. आदि की कोचिंग प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के प्रतिभावान बच्चों का पूर्ण कोचिंग खर्च निगम द्वारा वहन किया जाता है तथा मेडिकल इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अध्ययन हेतु 40,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

64. जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु लघु सिंचाई, बागवानी रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनजातियों का वास्तविक अर्थों में विकास हो, तथा इनका शैक्षणिक व आर्थिक विकास इस प्रकार किया जावे कि ये समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें । इस दृष्टि से, राज्य सरकार ने गत वर्षों में जनजाति क्षेत्रो के लिये, सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक उदार मापदण्ड, चिकित्सालय विद्यालय, सड़कों व पेयजल जैसे कार्यों के लिये निर्धारित किये हैं । अनुसूचित जनजाति विकास पर जहां 1957 से 1990 तक मात्र 1,010 करोड़ रुपये खर्च हुए थे वहीं 1991–97 की छः वर्ष की अवधि में 1,673 करोड़ रुपये खर्च किये गये व नवीं पंचवर्षीय योजना में 2,766 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य है ।

65. जनजाति के युवकों को एस. टी. सी , बी.एड. पशुधन सहायक, शारीरिक अनुदेशक, ए.एन एम. आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं । जनजाति उप योजना क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों के लिये 12 विभिन्न प्रकार के पदों पर 45 प्रतिशत आरक्षण का लाभ राज्य सरकार ने वर्ष 1995 व 1996 में ही दे दिया था । अब यह व्यवस्था इन क्षेत्रों में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के सभी पदों व ग्राम सेवकों के पदों पर भी लागू करने का निर्णय ले लिया गया है । डूंगरपुर में सीडा की सहायता से संचालित एकीकृत भूमि विकास योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु स्वीडन सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

66. शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुधार लाये जाने की आवश्यकता है । राज्य सरकार ने गत वर्षों में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से अनेक कार्य किये हैं । 1990 में मात्र 9 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम चल रहा था, अब राज्य के समस्त जिलो में यह कार्यक्रम लागू है । बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें

वितरण किये जाने की योजना 1994-95 में लागू की गई । विश्वविद्यालय स्तर तक की छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क न लिये जाने की व्यवस्था भी इसी दौरान की गई । समाज में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के विषय में जन–चेतना पैदा करने की दृष्टि से 2 अक्टूबर, 1997 को बालिका समृद्धि योजना प्रारम्भ की गई । पंचायती राज एवं स्थानीय प्रशासन प्रबन्ध में महिलाओं को उचित भागीदारी प्रदान की गई है महिलाओं के लिये राजकीय सेवा में 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है । इसके परिणामस्वरूप आज 10 जिलो में जिला प्रमुख, 80 प्रधान व 3,064 सर-पंचों के पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं । इसी प्रकार नगरीय संस्थाओ में भी महिलाओं की व्यापक भागीदारी बनी है ।

67. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की दवाकरा योजना अब राज्य की 184 पंचायत समितियों में चलाई जा रही है । इस वर्ष 400 नये महिला समूह गठित होने की आशा है । राज्य के 15 जिलों में किशोर बालिका योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 600 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ।

68. राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार ने गत वर्षों में विशेष ध्यान दिया है । राज्य में वर्ष 1956 से 1991 तक की 35 वर्ष की अवधि में केवल एक नया जिला, 7 उप खण्ड व एक नई तहसील सृजित की गई । इसकी तुलना में वर्ष 1990 से अब तक बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ तथा करौली के 5 नये जिले सृजित कर इन क्षेत्रों की लम्बे से चली आ रही मांग को पूरा किया गया, इस अवधि में 5 नये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, 10 नये उप खण्ड, 5 नई तहसीलें व 15 नई उप तहसीलें खोली गई तथा 11 उप तहसीलों को क्रमोन्नत किया गया । राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रत्येक जिले में किया गया है तथा इसके लिए 478 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं । राज्य की 8 तहसीलों में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से भू–प्रबन्ध कार्य हाथ में लिया गया है । गांवों के पुराने नक्शों को, जो बीघो पर आधारित थे, मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु एक आधुनिक कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशन की स्थापना की गई है । इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 12 तहसीलों के मानचित्रों को बदला जा रहा है ।

69. राज्य में अनेक मंदिर राज्य सरकार की देखरेख में हैं, जिनकी ओर राज्य सरकार ने समुचित ध्यान दिया है । वर्ष 1995 से 1997 तक की अवधि में 12 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये राज्य सरकार ने 125 लाख रुपये स्वीकृत किये । इतनी ही राशि मंदिरों की निधि से भी खर्च की जायेगी । इतनी बड़ी राशि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये प्रथम बार ही स्वीकृत की गई है । मंदिरों में भोग-राग-नैवेद्य हेतु खर्च की जाने वाली राशि को भी 16 लाख रुपये बढ़ा कर गत वर्ष 84 लाख रुपये किया गया । निजी मंदिरों को दी जाने वाली अनुदान राशि में गत वर्ष चार गुना वृद्धि की गई ।

70. राज्य सरकार ने गत कुछ वर्षो में पूर्व सैनिकों के लिये अनेक कल्याणकारी

(34)

कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन देने की नई योजना राज्य सरकार ने वर्ष 1996–97 में प्रारम्भ की तथा इसके अन्तर्गत इस वर्ष 2.07 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को स्कूल स्तर तक 100 रुपये प्रतिमाह तथा कॉलेज स्तर पर 150 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने की योजना भी वर्ष 1996–97 में प्रारम्भ की गई। इस वर्ष 595 पूर्व सैनिकों को 12,267 बीघा भूमि आवंटित कराई गई है तथा 768 पूर्व सैनिकों को नियमित नियोजन उपलब्ध कराया गया। लगभग 2,400 पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियोजित कराया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा व पाली में नये सैनिक विश्राम गृह निर्मित कराये गये।

71. प्रदेश में इस वर्ष कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद रही। अभी हाल ही में अजमेर में हुई घटना के अलावा पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का वातावरण बना रहा। सीमा पर हुई तारबन्दी से तस्करी की रोकथाम हुई है। चालू वर्ष में पुलिस व सीमा सुरक्षा बल की सक्रियता से सीमावर्ती जिलों में 30 करोड़ रुपये की तस्करी की सामग्री एवं 14.5 किलोग्राम आर. डी. एक्स. एवं बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया गया तथा अवैध रूप से सीमा का अतिक्रमण करते हुए 498 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष पुलिस ने मुठभेड़ में 9 डाकुओं को मार गिराया।

72. लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा तथा तेजी से बढ़ते शहरीकरण व औद्योगीकरण के कारण अपराधों में होने वाली वृद्धि से निपटने के लिये पुलिस बल का पुनर्गठन व सुदृढ़ीकरण अपरिहार्य था। राजस्थान सरकार द्वारा इस दिशा में समुचित कदम उठाये गये हैं। राज्य में पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से अब तक 12 सर्किल, 4 महिला थाने, 20 पुलिस थाने, 30 पुलिस चौकियां एवं 11 स्थानों पर अस्पतालों में पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। इसमें से जयपुर शहर में पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 3 सर्किल, एक महिला थाना, 10 पुलिस थाने एवं 11 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों, गुप्तचर शाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त अब तक 10,224 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है, 904 वाहन प्रदत्त किये गये हैं एवं 24.33 करोड़ रुपये उपकरण, वायरलैस-सेट एवं औजारों के लिये स्वीकृत किये गये हैं। पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में महिलाओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई है। गत वर्ष जयपुर शहर में 3 नये पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किए गए एवं जोधपुर में रेल्वे पुलिस का नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किया गया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं उदयपुर स्थित केन्द्रीय कारागृहों में बेहतर सुरक्षा हेतु सी. सी. टी वी. स्थापित किए गए।

73. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के न्यायोचित हितों को सदैव ध्यान में रखा है। वर्ष 1992 में अराजपत्रित कर्मचारियों

को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देने की योजना लागू की गई। माह मई, 1995 में राज्य कर्मचारियों के लिए नई सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की गई। जून 1997 में सामान्य प्रावधायी निधि नियमों का सरलीकरण करते हुए नये नियम लागू किये गये। अप्रेल, 1994 में 10 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने वाले वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को नियमित किया गया, जिसके फलस्वरूप इस संवर्ग के लगभग 45,000 कर्मचारियों की लम्बे समय से चल रही समस्या का एक मुश्त स्थायी निराकरण हुआ। हाल ही में शेष रहे वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को भी नियमित करने का निर्णय ले लिया गया है। राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण शीघ्रता से उपलब्ध कराने हेतु अनुदानित आवास ऋण योजना वर्ष 1992–93 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत एच. डी. एफ. सी. से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्य सरकार ब्याज पर अनुदान देती है। माह अक्टूबर, 1996 से नये पेंशन नियम प्रभावी किये गये, जिनमें पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

74. राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किये गये हैं। मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1998 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इन संशोधनों से लगभग साढ़े सात लाख राज्य कर्मचारी, नियमित वर्कचार्ज्ड कर्मचारी तथा जिला परिषद व पंचायत समिति कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य के पेंशनरों को भी केन्द्र सरकार के द्वारा किये गए संशोधन का लाभ 1 सितम्बर, 1996 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि सन्तुष्ट कर्मचारीगण अधिक लगन व निष्ठा के साथ जनसेवा करेंगे।

75. प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राज्य अन्वेषण ब्यूरो सक्रिय रहा। चालू वर्ष में 229 प्रकरण दर्ज किये गये। 79 मामलों में राज्य कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 98 प्रकरणों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा 46 प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्डित किया गया। विभागीय जांच के 43 प्रकरणों में सम्बन्धित कर्मियों को वेतन वृद्धि रोकने, पदावनति आदि की सजा दी गई। 18 राजपत्रित अधिकारियों को राज्य सेवा से निष्कासित किया गया।

76. पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन विकास पर जहां आठवीं पंचावर्षीय योजना में 51 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना में 303 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

77. राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में इस वर्ष हवाई सेवा का विस्तार

(36)

हुआ और पर्यटन सीजन में जैसलमेर हवाई सेवा से जुड़ सका, इस वर्ष राजस्थान पर्यटन को भारत सरकार से तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें स्वर्ण जयन्ती वर्ष में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयन्ती पुरस्कार भी सम्मिलित है, जो एक गौरवमयी उपलब्धि है।

78. इस वर्ष राज्य सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न स्मारकों, संग्रहालयों, भित्ति चित्रों आदि के संरक्षण का कार्य करवाया है। शेखावटी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित करने की दृष्टि से सीकर में नव-निर्मित संग्रहालय शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त बून्दी में भी एक संग्रहालय की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

79. इस वर्ष सहकारी दुग्ध डेयरी के माध्यम से दुग्ध संकलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले वर्ष के 5.43 लाख लीटर प्रति दिन दुग्ध संकलन की तुलना में इस वर्ष औसत दुग्ध संकलन लगभग साढ़े छः लाख लीटर प्रतिदिन होने की आशा है। इस वर्ष दुग्ध की स्थानीय बिक्री का औसत लगभग साढ़े तीन लाख लीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष यह 2.75 लाख लीटर था। मत्स्य पालन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी तक मत्स्य पालन से 658 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।

80. राज्य में जून 1997 से नवीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई, जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं 3 रुपये प्रति किलो की दर से तथा अन्य परिवारों को 5रु. 10 पैसे प्रति किलो की दर से वितरित कराया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों से आयोडीन नमक तथा जीवन रक्षक घोल भी वितरित कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिमाह के स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर तहसील व रसद कार्यालय में अगले माह जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों एव अनियमितताओं की प्रभावी जांच की जा सके।

81. राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग व जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच गठित किए गए हैं। राज्य के जिला उपभोक्ता संक्षरण मंचों ने दिसम्बर, 1997 तक लगभग 89,000 प्रकरण निस्तारित किए हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में एक कीर्तिमान है।

82. राज्य सरकार ने वर्ष 1990 से 1997 तक न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की है। न्यूनतम मजदूरी की नई दरें अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिये क्रमशः 44 रुपये, 47 रुपये एवं 50 रुपये निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। यह वृद्धि वर्ष 1990 की तुलना में दुगुनी होगी।

83. राज्य में इस वर्ष अपेक्षाकृत औद्योगिक शान्ति बनी रही। हड़तालों एवं तालाबंदी की संख्या में गत वर्ष के मुकाबले कमी हुई हैं। उद्योगों एवं कारखानों में कार्यरत बीमित श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

करवाने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भीलवाड़ा में एक चिकित्सालय तथा उदयपुर, टोंक एवं सीकर जिलों में एक-एक औषधालय प्रारम्भ किये गये ।

84. गत कुछ वर्षों से ईश्वर की कृपा से राज्य में अच्छी वर्षा हो रही है । इस वर्ष भी मानसून समय पर आया तथा राज्य में अच्छी वर्षा हुई । राज्य के छः जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई । बाढ़ की स्थिति कहीं भी उत्पन्न नहीं हुई यद्यपि कुछ जिलों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है । ऐसे स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान की गई । जिन स्थानों पर अतिवृष्टि से फसलों की हानि हुई, वहां प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध कराई गई । गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में प्रतिकूल मौसम व बीमारियों के कारण कपास व नरमा की फसलों को काफी हानि पहुंची है । प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिये गये हैं । केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा चुका है तथा भारत सरकार से सहायता राशि की स्वीकृति अपेक्षित है ।

85. ग्रामीण स्तर पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों, विकास कार्यों व जन–चेतना के कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान रहता है । इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 59.50 करोड़ रुपये तथा विकास कार्यों हेतु 53.05 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है । यह राशि ग्रामीण विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त है । पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कनिष्ठ अभियन्ताओं, कनिष्ठ लिपिकों व ग्राम–सेवकों के अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे हैं । विकास कार्यों के अन्तर्गत भवनों के रख–रखाव, नाली–निर्माण, सम्पर्क सड़क, स्ट्रीट–लाइट आदि का कार्य कराया जायेगा ।

86. नगरपालिकाओं को इस वर्ष सरकार द्वारा 29.50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई । नेहरू रोजगार योजना के माध्यम से इस वर्ष शहरी गरीब परिवारों के लगभग 2,500 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जा चुका है । सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से चलाये जा रहे अल्प शौचालय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष दिसम्बर माह तक 21 हजार सूखे शौचालयों को परिवर्तित कराया गया है । अगले वर्ष भी यह कार्यक्रम चालू रहेगा । सहभागी नगर विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 7.50 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न जिलों को हस्तांतरित की जा चुकी है ।

87. राज्य के छः प्रमुख शहरों जयपुर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर व कोटा के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की एक बड़ी योजना एशियाई विकास बैंक के तत्वावधान में तैयार की गई है । जिन कस्बों व शहरों के मास्टर प्लान तैयार नहीं है, उन्हें बनवाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । वर्तमान में 43

(38)

लघु व मध्यम शहरों के उत्तरोत्तर विकास की परियोजनाएं तैयार करवाई जा रही है।

88. सरकार कस्बो एवं शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियो की समस्या से भली-भांति अवगत है। कच्ची बस्तियों में निवास वाले गरीबों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने सरकारी भूमि पर, निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप 1.1.94 तक के कब्जो को नियमित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। कब्जों के नियमन के साथ–साथ ऐसी कच्ची बस्तियों के विकास के लिये सड़क, नाली, बिजली आदि आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जावेंगी।

89. वर्ष 1997को जन-अभाव-अभियोग निवारण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला कलक्टरों द्वारा पंचायत समिति स्तर पर त्रैमासिक शिविर लगाकर जन–अभावो का निवारण किया गया। शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रो का मौके पर निस्तारण करने की व्यवस्था की गई। इसके फलस्वरूप लगभग 1.35 लाख अभाव अभियोगो का निवारण हो सका है।

90. वर्ष 1990-91में राज्य विभिन्न श्रेणी के 473 न्यायालय कार्यरत थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता एवं शीघ्र न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं और गत 6 वर्षो में विभिन्न श्रेणी के 192 न्यायालय खोले गये हैं। इस वर्ष एवं आगामी चार वर्षों में प्रतिवर्ष 30 नये न्यायालयों का खनन किया जाना प्रस्तावित है। न्यायालयो में साक्षी खुराक राशि वर्षो से मात्र 3 रुपये दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 रुपये कर दिया गया है।

91. पाली शहर में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल के उपचार हेतु दो संयुक्त संयंत्र कार्यरत हैं व एक निर्माणाधीन है। बालोतरा में उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य जारी है तथा जोधपुर में भी एक नये संयंत्र की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

92. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में बजट प्रस्ताव एवं अनुदान मागों के अतिरिक्त निम्न विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :—

1– राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998

2– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998

3– राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997

93. राजस्थान की गिनती अब देश के तेजी से आगे बढ़ रहे प्रदेशों में होने लगी है। राजस्थान में प्रारम्भ की गई नई योजनाओं व नवाचारों की चर्चा पूरे देश में होती है। शांतिपूर्ण वातावरण तथा संवेदनशील एवं चुस्त प्रशासन के कारण राजस्थान प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। इसलिये, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी राजस्थान की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुई है और उन्होंने राज्य को सहायता देने का अपना मंतव्य व्यक्त किया है।

राज्य के त्वरित विकास में सभी माननीय सदस्यगण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । माननीय सदस्यगण सरकार तथा जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, जनता की समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं को सरकार के सामने उजागर करते है और सरकार अपने साधनों को देखते हुए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती है । आपसी विश्वास, सद्भाव एवं निष्ठा के साथ सहयोग करते हुए आप राज्य के विकास का पथ प्रशस्त करें, इस शुभकामना की अभिव्यक्ति मैं ऋग्वेद के इन शब्दों के माध्यम से करना चाहूंगा–

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।

आप सब का लक्ष्य समान है, अतः आपके हृदयों की धड़कने उस सद्भाव की समान लय पर थिरकें और आपके मन सौहार्द के उस रस से सिक्त रहें, जिससे हमारी इस भूमि के लिए आप सबका कल्याणकारी सहकार फूलता फलता रहे ।

'जय हिन्द'